

विद्युत मंत्रालय
मांग संख्या 79
विद्युत मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2021-2022			बजट 2022-2023			संशोधित 2022-2023			बजट 2023-2024		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	19423.77	3894.11	23317.88	18421.11	13.11	18434.22	14018.46	23.12	14041.58	21794.52	16.80	21811.32
<i>वसूलियां</i>	-655.49	-1067.46	-1722.95	-2359.48	...	-2359.48	-935.00	...	-935.00	-1140.00	...	-1140.00
<i>प्राप्तियां</i>
निवल	18768.28	2826.65	21594.93	16061.63	13.11	16074.74	13083.46	23.12	13106.58	20654.52	16.80	20671.32
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	45.57	...	45.57	56.00	...	56.00	53.71	...	53.71	57.13	3.59	60.72
	-0.05	...	-0.05
<i>निवल</i>	<i>45.52</i>	<i>...</i>	<i>45.52</i>	<i>56.00</i>	<i>...</i>	<i>56.00</i>	<i>53.71</i>	<i>...</i>	<i>53.71</i>	<i>57.13</i>	<i>3.59</i>	<i>60.72</i>
2. <i>संवैधानिक प्राधिकरण</i>												
2.01 केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण	113.64	...	113.64	121.00	...	121.00	121.00	...	121.00	132.84	2.20	135.04
2.02 संघ राज्य क्षेत्रों तथा गोवा के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी) की स्थापना	11.22	...	11.22	13.49	...	13.49	13.49	...	13.49	13.50	...	13.50
2.03 बिजली के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण	22.38	...	22.38	41.30	...	41.30	39.49	...	39.49	40.66	...	40.66
2.04 केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) निधि	67.00	...	67.00	205.00	...	205.00	135.00	...	135.00	140.00	...	140.00
2.05 घटाएं- सीईआरसी द्वारा दी गई राशि	-170.06	...	-170.06	-205.00	...	-205.00	-135.00	...	-135.00	-140.00	...	-140.00
<i>निवल</i>	<i>44.18</i>	<i>...</i>	<i>44.18</i>	<i>175.79</i>	<i>...</i>	<i>175.79</i>	<i>173.98</i>	<i>...</i>	<i>173.98</i>	<i>187.00</i>	<i>2.20</i>	<i>189.20</i>
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	89.70	...	89.70	231.79	...	231.79	227.69	...	227.69	244.13	5.79	249.92
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
संरक्षण एवं ऊर्जा दक्षता												
3. <i>ऊर्जा संरक्षण योजनाएं</i>												
3.01 ऊर्जा संरक्षण	40.00	...	40.00	60.00	...	60.00	30.00	...	30.00	30.90	...	30.90
दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना												
4. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना	4655.23	...	4655.23
एकीकृत विद्युत विकास योजना												
5. <i>एकीकृत विद्युत विकास योजना</i>												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2021-2022			बजट 2022-2023			संशोधित 2022-2023			बजट 2023-2024		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
5.01 केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना कोष (सीआरआईएफ) को अंतरण	3750.00	1550.00	5300.00
5.02 आईपीडीएस - अनुदान	2405.53	...	2405.53
5.03 आईपीडीएस - ऋण	...	2315.95	2315.95
5.04 घटाएँ- केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना कोष (सीआरआईएफ) से पूरी की गई राशि	-485.38	-1067.46	-1552.84
<i>निवल</i>	<i>5670.15</i>	<i>2798.49</i>	<i>8468.64</i>
पावर सिस्टम्स का सुदृढीकरण												
6. पावर सिस्टम्स का सुदृढीकरण												
6.01 स्मार्ट ग्रिड	2.24	...	2.24	35.73	...	35.73	28.56	...	28.56	14.62	...	14.62
6.02 हरित ऊर्जा कॉरिडोर	...	18.16	18.16	...	13.11	13.11	...	13.11	13.11	...	1.00	1.00
6.03 राष्ट्रीय विद्युत कोष के लिए ब्याज सब्सिडी	1000.00	...	1000.00	582.89	...	582.89	582.89	...	582.89	500.00	...	500.00
6.04 पूर्वोत्तर राज्यों में बिजली व्यवस्था में सुधार, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को छोड़कर (कार्यक्रम घटक)	380.00	...	380.00	371.00	...	371.00	523.00	...	523.00	517.05	...	517.05
6.05 पूर्वोत्तर राज्यों में बिजली व्यवस्था में सुधार, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को छोड़कर (ईएपी घटक)	295.01	...	295.01	273.00	...	273.00	450.00	...	450.00	469.95	...	469.95
6.06 अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्यों में पारेषण प्रणाली का सुदृढीकरण	1600.00	...	1600.00	1700.00	...	1700.00	1145.60	...	1145.60	1400.00	...	1400.00
<i>जोड़- पावर सिस्टम्स का सुदृढीकरण</i>	<i>3277.25</i>	<i>18.16</i>	<i>3295.41</i>	<i>2962.62</i>	<i>13.11</i>	<i>2975.73</i>	<i>2730.05</i>	<i>13.11</i>	<i>2743.16</i>	<i>2901.62</i>	<i>1.00</i>	<i>2902.62</i>
पावर सिस्टम विकास कोष												
7. पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड												
7.01 पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड (पीएसडीएफ) को अंतरण	604.48	...	604.48	800.00	...	800.00	1000.00	...	1000.00
7.02 पावर सिस्टम विकास (पीएसडीएफ) योजना	320.54	...	320.54	151.86	...	151.86	347.38	...	347.38	547.38	...	547.38
7.03 ऋण पर ब्याज का भुगतान	451.17	...	451.17	452.62	...	452.62	452.62	...	452.62	452.62	...	452.62
7.04 घटाएँ- पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड से प्राप्त राशि	-604.48	...	-604.48	-800.00	...	-800.00	-1000.00	...	-1000.00
<i>निवल</i>	<i>771.71</i>	...	<i>771.71</i>	<i>604.48</i>	...	<i>604.48</i>	<i>800.00</i>	...	<i>800.00</i>	<i>1000.00</i>	...	<i>1000.00</i>
8. सुधार आधारित वितरण स्कीम												
8.01 केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को अंतरण	1550.00	...	1550.00
8.02 सुधार आधारित वितरण योजना	814.00	...	814.00	7565.59	...	7565.59	6000.00	...	6000.00	12071.60	...	12071.60
8.03 घटाएँ- केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) से राशि पूरी की गई	-1550.00	...	-1550.00
<i>निवल</i>	<i>814.00</i>	...	<i>814.00</i>	<i>7565.59</i>	...	<i>7565.59</i>	<i>6000.00</i>	...	<i>6000.00</i>	<i>12071.60</i>	...	<i>12071.60</i>
9. भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों को संवर्धन करने के लिए योजना	103.80	...	103.80
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम/परियोजनाएं	15228.34	2816.65	18044.99	11192.69	13.11	11205.80	9560.05	13.11	9573.16	16107.92	1.00	16108.92
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2021-2022			बजट 2022-2023			संशोधित 2022-2023			बजट 2023-2024		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
स्वायत्त निकाय												
10. प्रशिक्षण और अनुसंधान												
10.01 केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान	120.00	...	120.00	302.77	...	302.77	205.00	...	205.00	208.00	...	208.00
10.02 राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान	16.07	...	16.07	50.00	...	50.00	30.00	...	30.00	35.00	...	35.00
जोड़- प्रशिक्षण और अनुसंधान	136.07	...	136.07	352.77	...	352.77	235.00	...	235.00	243.00	...	243.00
11. संरक्षण और ऊर्जा दक्षता												
11.01 ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (कार्यक्रम घटक)	115.82	...	115.82	148.00	...	148.00	113.00	...	113.00
11.02 ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ईएपी घटक)	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
जोड़- संरक्षण और ऊर्जा दक्षता	115.82	...	115.82	150.00	...	150.00	115.00	...	115.00
जोड़-स्वायत्त निकाय	251.89	...	251.89	502.77	...	502.77	350.00	...	350.00	243.00	...	243.00
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
12. सीपीएसयू को सहायता												
12.01 चिनाब बैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को अनुदान के रूप में जम्मू और कश्मीर पीएमडीपी 2015 के तहत पाकुल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हेतु केंद्रीय सहायता	763.99	...	763.99	1455.98	...	1455.98	424.92	...	424.92	1448.00	...	1448.00
12.02 भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से ऋण शोधन बांड निर्गम व्यय और ब्याज (पीएफसी बांड)	376.39	...	376.39	376.40	...	376.40	376.40	...	376.40	376.40	...	376.40
12.03 भारत सरकार द्वारा पूर्णतः ऋण शोधन बांड निर्गम व्यय और ब्याज (आरईसी बांड)	1944.63	...	1944.63	1986.52	...	1986.52	1944.86	...	1944.86	1945.56	...	1945.56
12.04 एनटीपीसी द्वारा लौहारी नागपाला हाइड्रो पावर पर पहले ही किए गए किसी व्यय के दावे की प्रतिपूर्ति	11.24	...	11.24	104.40	...	104.40	104.40	...	104.40	104.40	...	104.40
12.05 सुबनसिरि लोअर परियोजना के अनुप्रवाह संरक्षण कार्य के लागत के लिए अनुदान	74.07	...	74.07	56.98	...	56.98	56.98	...	56.98	56.98	...	56.98
जोड़- सीपीएसयू को सहायता	3170.32	...	3170.32	3980.28	...	3980.28	2907.56	...	2907.56	3931.34	...	3931.34
अन्य												
13. सीपत, छत्तीसगढ़ में एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
14. एसडीएमसी - बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन को भुगतान	16.08	...	16.08	16.08	...	16.08	16.08	...	16.08	16.08	...	16.08
15. सक्षम अवसंरचना अर्थात सड़कों एवं पुलों के लिए लागत सहायता	...	10.00	10.00	10.00	10.00	...	10.00	10.00
16. बाढ़ मंदन भंडारण जल विद्युत परियोजनाओं के लिए सहायता	0.01	0.01	...	0.01	0.01
17. केन्द्रीय पारेषण उपयोगी सेवा का सृजन	0.01	...	0.01	0.05	...	0.05	0.01	...	0.01
18. अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता मामले संबंधी भुगतान	11.95	...	11.95	28.00	...	28.00	12.00	...	12.00	12.00	...	12.00
19. आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र	100.00	...	100.00	10.00	...	10.00	100.00	...	100.00
20. भारतीय नौपरिवहन कंपनियों को सब्सिडी	10.00	...	10.00	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
21. एमपीआरपी के लिए अतिरिक्त निधि (जे एंड के)	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
22. व्यवहार्यता अंतर निधियन	0.01	...	0.01
जोड़-अन्य	28.03	10.00	38.03	154.10	...	154.10	38.16	10.01	48.17	128.13	10.01	138.14

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2021-2022			बजट 2022-2023			संशोधित 2022-2023			बजट 2023-2024		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	3450.24	10.00	3460.24	4637.15	...	4637.15	3295.72	10.01	3305.73	4302.47	10.01	4312.48
कुल जोड़	18768.28	2826.65	21594.93	16061.63	13.11	16074.74	13083.46	23.12	13106.58	20654.52	16.80	20671.32
ब. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. विद्युत	18722.76	...	18722.76	13661.63	...	13661.63	10427.58	...	10427.58	17003.29	...	17003.29
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	45.52	...	45.52	56.00	...	56.00	53.71	...	53.71	57.13	...	57.13
3. विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	28.16	28.16	...	13.11	13.11	...	23.12	23.12	...	16.80	16.80
4. विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	...	2798.49	2798.49
जोड़-आर्थिक सेवाएं	18768.28	2826.65	21594.93	13717.63	13.11	13730.74	10481.29	23.12	10504.41	17060.42	16.80	17077.22
अन्य												
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	2344.00	...	2344.00	2602.17	...	2602.17	3594.10	...	3594.10
जोड़-अन्य	2344.00	...	2344.00	2602.17	...	2602.17	3594.10	...	3594.10
कुल जोड़	18768.28	2826.65	21594.93	16061.63	13.11	16074.74	13083.46	23.12	13106.58	20654.52	16.80	20671.32

(₹ करोड़)

	बजट 2023-2024			बजट 2022-2023			बजट 2021-2022			बजट 2020-2021		
	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड												
9. पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	...	107.28	107.28	...	36.87	36.87	...	36.87	36.87	...	67.00	67.00
जोड़-पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	...	107.28	107.28	...	36.87	36.87	...	36.87	36.87	...	67.00	67.00
नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड												
2. नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड	...	5523.35	5523.35	...	7361.05	7361.05	...	7128.95	7128.95	...	10857.22	10857.22
जोड़-नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	...	5523.35	5523.35	...	7361.05	7361.05	...	7128.95	7128.95	...	10857.22	10857.22
दामोदर घाटी निगम लिमिटेड												
3. दामोदर वैली कारपोरेशन लिमिटेड	...	2752.56	2752.56	...	2009.87	2009.87	...	2010.00	2010.00	...	2708.00	2708.00
जोड़-दामोदर घाटी निगम लिमिटेड	...	2752.56	2752.56	...	2009.87	2009.87	...	2010.00	2010.00	...	2708.00	2708.00
पूर्वोत्तर इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड												
4. उत्तर पूर्वी विद्युत ऊर्जा निगम लिमिटेड	...	707.89	707.89	...	900.81	900.81	...	1133.26	1133.26	...	2018.59	2018.59
जोड़-पूर्वोत्तर इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	...	707.89	707.89	...	900.81	900.81	...	1133.26	1133.26	...	2018.59	2018.59
सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड												

	बजट			बजट			बजट			बजट		
	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
5. सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड	...	5259.39	5259.39	...	8000.00	8000.00	...	8000.00	8000.00	...	10000.00	10000.00
जोड़-सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड	...	5259.39	5259.39	...	8000.00	8000.00	...	8000.00	8000.00	...	10000.00	10000.00
<i>टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड</i>												
6. टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	...	3232.51	3232.51	...	3207.54	3207.54	...	3315.00	3315.00	...	3900.41	3900.41
जोड़-टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	...	3232.51	3232.51	...	3207.54	3207.54	...	3315.00	3315.00	...	3900.41	3900.41
<i>पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड</i>												
7. पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	...	9426.00	9426.00	...	7500.00	7500.00	...	8800.00	8800.00	...	8800.00	8800.00
जोड़-पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	...	9426.00	9426.00	...	7500.00	7500.00	...	8800.00	8800.00	...	8800.00	8800.00
<i>ग्रामीण विद्युतीकरण निगम</i>												
8. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम
जोड़-ग्रामीण विद्युतीकरण निगम
<i>नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड</i>												
1. नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड	...	21126.07	21126.07	...	22454.00	22454.00	...	22454.00	22454.00	...	22454.00	22454.00
जोड़-नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	...	21126.07	21126.07	...	22454.00	22454.00	...	22454.00	22454.00	...	22454.00	22454.00
जोड़	...	48135.05	48135.05	...	51470.14	51470.14	...	52878.08	52878.08	...	60805.22	60805.22

(₹ करोड़)

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान विद्युत मंत्रालय के सचिवालय के लिए स्थापना संबंधी मामलों पर व्यय के लिए किया जाता है।

2.01. **संवैधानिक प्राधिकरण:** केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) एक सांविधिक संगठन के रूप में विद्युत क्षेत्र की समग्र आयोजना, समन्वय, जल विद्युत स्कीमों को सहमति प्रदान करने, परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने और उनको समय से पूरा करने में सहायता देने, तकनीकी मानकों और सुरक्षा अपेक्षाओं, ग्रिड मानकों के साथ-साथ, देश में विद्युत क्षेत्र में लगने वाले मीटरों की स्थापना के लिए शर्तों को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है।

2.02. **विद्युत संवैधानिक प्राधिकरण:** केंद्र सरकार ने दिल्ली को छोड़कर गोवा एवं सभी संघ शासित क्षेत्रों के लिए एक संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी) का गठन किया है। संयुक्त आयोग के व्यय का वहन केंद्र सरकार और गोवा सरकार द्वारा 6:1 के अनुपात में किया जाता है।

2.03. **संवैधानिक प्राधिकरण:** विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के तहत, केन्द्रीय सरकार ने विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की है। यह विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन न्याय-निर्णयन अधिकारी या समुचित आयोगों के आदेशों के विरुद्ध सुनवाई करता है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 के उपबंधों के अधीन, एपटेल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ अपीलीय न्यायाधिकरण है।

2.04. **केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) कोष:** सीईआरसी एक पूर्ववर्ती विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998

के प्रावधान के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है और यह विद्युत अधिनियम, 2003 (जिसने अन्य बातों के साथ-साथ पूर्ववर्ती ईआरसी अधिनियम, 1998 को निरस्त कर दिया गया है) के तहत जारी है। सीईआरसी के मुख्य कार्य केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली या उसके द्वारा नियंत्रित कंपनियों के अलावा उत्पादक कंपनियों के टैरिफ को विनियमित करना, केन्द्र सरकार के स्वामित्व वाली या नियंत्रित उसके द्वारा नियंत्रित कंपनियों को छोड़कर अन्य कम्पनियों के टैरिफ को विनियमित करना है, अगर ऐसी सृजनशील कंपनियां दर्ज हों या अन्यथा अंतरराज्यीय संचरण और व्यापार के लिए लाइसेंस प्रदान करने और राष्ट्रीय बिजली नीति और टैरिफ नीति बनाने के लिए केंद्र सरकार को सलाह देने के लिए ट्रांसमिशन उपयोगिताओं के टैरिफ सहित अंतर-राज्य संचरण को विनियमित करने के लिए, एक से अधिक राज्यों में बिजली के उत्पादन और बिक्री के लिए समग्र योजना शामिल है।

3.01. **ऊर्जा संरक्षण:** इस निधि का उपयोग (i) जन साधारण के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और अन्य मीडिया माध्यमों से ऊर्जा संरक्षण संबंधी जागरूकता लाने के लिए निधियों का उपयोग। (ii) ऊर्जा संरक्षण पर ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार एवं चित्रकला प्रतियोगिताएं जारी रखने, (iii) नेशनल मिशन फॉर इन्हेंस्टैंड एनर्जी एफिसिएंशी(एनएमईईई) को कार्यान्वित करने और (iv) निवेशों का मार्ग खोलने के लिए ऊर्जा दक्षता के लिए बाजार तैयार करने और उसे स्थिर बनाने के लिए प्रयासों को बढ़ाने हेतु भी निधि का उपयोग किया जाएगा। (v) संचालन, प्रोजेक्ट प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण में मेधावी प्रदर्शन को मान्यता देने के लिए एमओपी द्वारा शील्ड और प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने वाले स्टेशनों, संचरण और वितरण उपयोगिता और ग्रामीण वितरण फ्रेंचाइजी द्वारा किया जाएगा।

6.01. **स्मार्ट ग्रिड:** इस स्कीम में "राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन" को शुरू करके संस्थागत तंत्र की स्थापना की परिकल्पना की गई है जोकि ऑटोमेशन, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों की आवश्यकता को पूरा करेगी जो उत्पादन स्थल से उपभोग स्थल तक विद्युत प्रवाह की निगरानी कर सकती है और विद्युत प्रवाह का नियंत्रण या वास्तविक समय आधार पर उत्पादन के अनुरूप भार की कमी सुनिश्चित कर सकती है।

6.02. **हरित ऊर्जा कॉरिडोर:** इस स्कीम में विद्युत प्रणाली की सुरक्षा और स्थायित्व से समझौता किए बिना नवीकरणीय उर्जा उत्पादन को अधिकतम करने और मुख्य ग्रिड के साथ एकीकरण करने का प्रस्ताव है।

6.03. **राष्ट्रीय विद्युत कोष के लिए ब्याज सस्मिडी:** आरजीजीवीवाई तथा आर-एपीडीआरपी स्कीमों (जो क्रमशः डीडीयूजीजेवाई तथा आईपीडीएस में समाहित की गई हैं) परियोजना क्षेत्रों में शामिल न किए गए क्षेत्रों के लिए, वितरण नेटवर्क को सुधारने के लिए सार्वजनिक तथा निजी, दोनों ही क्षेत्रों की वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) को संवितरित किए जाने वाले ऋणों पर ब्याज सस्मिडी प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय विद्युत निधि (एन.ई.एफ.) की स्थापना की जा रही है।

6.05. **पूर्वोत्तर राज्यों में बिजली व्यवस्था में सुधार, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को छोड़कर (कार्यक्रम घटक):** यह परियोजना छह पूर्वोत्तर राज्यों अर्थात असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा एवं नागालैंड में विद्युत प्रणाली में सुधार के लिए है। इसका वित्तपोषण विश्व बैंक द्वारा किया जाता है। सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की संवेदनशील सीमाओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के वजतीय सहायता के माध्यम से कार्यान्वित करने के लिए इन राज्यों के अंतर्राज्यी परेषण एवं वितरण परियोजनाओं को अलग किया गया है।

6.06. **अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्यों में पारेषण प्रणाली का सुदृढीकरण:** सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में पारेषण, उप-पारेषण और वितरण प्रणाली को सुदृढ बनाने के लिए एक व्यापक योजना परिकल्पित की गई है।

7. **पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड:** स्कीम में (क) अनुदानों के माध्यम से आंशिक वित्तपोषण द्वारा वर्तमान वितरण एवं पारेषण अवसंरचना के सुदृढीकरण (गैर-गैस घटक) (ख) स्टैंडिड गैस आधारित विद्युत संयंत्रों (गैस घटक) से विद्युत खरीदकर डिस्कॉमों के लिए सस्मिडी के प्रावधान की परिकल्पना की गई है।

8. **सुधार आधारित वितरण स्कीम:** यह योजना में सभी और वित्तीय रूप से व्यवहार्य संवितरण क्षेत्र के लिए 24X7 संवहनीय विद्युत सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परिणाम और सुधार आधारित वित्तीय सहायता के संमिश्रण के रूप में संवितरित उप क्षेत्र के लिए है। इस योजना को संवितरण कंपनियों की सार्वजनिक निजि स्वामित्व, बहु आपूर्ति फ्रेंचाइजी सहित संवितरण स्थिर में विभिन्न फ्रेंचाइजी प्रतिरूपों की अनुकूलन सहित सुधार पैकेजोंके अनुकूलन के मामले में डिस्कॉम को मदद करने की परिकल्पना की गई है।

9. **भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता कार्यकलापों को संवर्धन करने के लिए योजना:** घरेलू प्रकाश व्यवस्था, वाणिज्यिक भवनों, मानकों और लेवलिंग उपकरणों, कृषि या नगर पालिकाओं, एसएमई और बड़े उद्योगों में मांग पक्ष प्रबंधन के क्षेत्रों में विभिन्न ऊर्जा दक्षता पहलों के कार्यान्वयन के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) को धन उपलब्ध कराया जाता है। औद्योगिक उप-क्षेत्रों के लिए ऊर्जा खपत मानदंडों के विकास की प्रक्रिया, एसडीए, डिस्कॉम आदि की क्षमता निर्माण।

10.01. **केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान:** केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलौर, इलैक्ट्रिकल पावर के क्षेत्र में अनुप्रयुक्त अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय प्रयोगशाला के रूप में सेवाएं प्रदान करता है और परीक्षण, मूल्यांकन और वैद्युत उपकरण और घटकों के सत्यापन के लिए भी स्वतंत्र प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है।

10.02. **राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान:** राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान विद्युत स्टेशनों के प्रचालन एवं अनुरक्षण सहित विद्युत क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षण देने का कार्य करता है।

11. **संरक्षण और ऊर्जा दक्षता:** ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) को घरेलू प्रकाश व्यवस्था, वाणिज्यिक भवनों, उपस्करों का मानकीकरण और लेवलीकरण, कृषि अथवा नगरपालिकाओं में मांग पक्ष प्रबंधन, उप क्षेत्रों के लिए ऊर्जा खपत मानकों के विकास की प्रक्रिया की शुरूआत सहित एसएमई तथा बड़े उद्योग, एमडीए, डिस्कॉम इत्यादि का क्षमता निर्माण सरकार द्वारा की गई इन पहलों से ऊर्जा खपत की दक्षता बढ़ेगी और ऊर्जा खपत की वृद्धि दर कम होगी।

12.01. **चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को अनुदान के रूप में जम्मू और कश्मीर पीएमडीपी 2015 के तहत पाकुल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हेतु केंद्रीय सहायता:** यह प्रधान मंत्री विकास पैकेज (2015) का एक भाग है, इसमें चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्रा. लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम के माध्यम से कार्यान्वित पाकुल दुल एचईपी के लिए सहायता दी गई है।

12.02. **भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से ऋण शोधन बांड निर्गम व्यय और ब्याज (पीएफसी बांड):** इस आबंटन की आवश्यकता व्यय और बांडों के निर्गम, पावर फिनांस कारपोरेशन (पीएफसी) द्वारा जुटाए गए अवसंरचना बांडों पर देय ब्याज के लिए है।

12.03. **भारत सरकार द्वारा पूर्णतः ऋण शोधन बांड निर्गम व्यय और ब्याज (आरईसी बांड):** वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान ईबीआर के ब्याज के भुगतान के लिए रु. 4000 करोड़ रुपये और वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान डीडीयूजीजेवाई एवं सौभाग्य (ग्रामीण) के लिए जुटाए गए 15000 करोड़ रूपए।

12.04. **एनटीपीसी द्वारा लौहारी नागपाला हाइड्रो पावर पर पहले ही किए गए किसी व्यय के दावे की प्रतिपूर्ति:** यह योजना लोहाडी नाग पाला पन बिजली परियोजना के संबंध में पुरस्कार के वितरण के लिए है।

12.05. **सुबनसिरी लोअर परियोजना के अनुप्रवाह संरक्षण कार्य के लागत के लिए अनुदान:** सुबनसिरी लोअर परियोजना (एनएचपीसी) के डाउनस्ट्रीम संरक्षण कार्य पर व्यय दिनांक 24.09.2019 को नीति आयोग में आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, सुबनसिरी लोअर परियोजना के डाउनस्ट्रीम संरक्षण कार्य की लागत भारत सरकार द्वारा वहन की जानी है।

13. **सीपात, छत्तीसगढ़ में एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट:** सीपात, छत्तीसगढ़ में प्रौद्योगिकी प्रदर्शन परियोजना स्थापित करना।

14. **एसडीएमसी - बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन को भुगतान:** बदरपुर तापीय विद्युत स्टेशन के संबंध में भूमि पट्टे की मद में दक्षिण दिल्ली नगर निगम को भुगतान।

15. **सक्षम अवसंरचना अर्थात सड़कों एवं पुलों के लिए लागत सहायता:** हाइड्रो परियोजना स्थान पर सड़कों, पुलों जैसी अवसंरचनाओं के विकास के लिए आबंटन।

16. **बाढ़ मंदन भंडारण जल विद्युत परियोजनाओं के लिए सहायता:** पन बिजली परियोजनाओं पर बाढ़ नियंत्रण भंडारों हेतु सहायता के लिए आबंटन।

17. **केन्द्रीय परीक्षण उपयोगी सेवा का सुजन:** सीटीयू को पावरग्रिड से अगल करने में हुई प्रगति की समीक्षा में यह निर्णय लिया गया कि एक पृथक सीटीयू कंपनी का सुजन किया जाए। यह मामला सीपीटी लि. को भारत सरकार की एक पृथक कंपनी के रूप में गठित करने हेतु स्थापना व्यय समिति (सीईई) के विचाराधीन है।
18. **अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता मामले संबंधी भुगतान:** भारत सरकार की तरफ से मुकदमे एवं विवाद के बचाव के लिए भारत कोरिया सीईपीए एवं भारत कोरिया वीआई के तहत विधि फर्म को भुगतान।
19. **आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र:** यह योजना 3 विभिन्न राज्यों में विद्युत् एवं नवीकरणीय उपकरणों हेतु लगाए जाने वाले 3 विनिर्माण जोनों के लिए है। इन जोनों में विनिर्माण सुविधाएं, अत्याधुनिक, स्वच्छ एवं ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकी पर आधारित होंगी, जो ऊर्जा क्षेत्र तथा नवीकरणीय हेतु आवश्यक उपकरणों, महत्वपूर्ण घटकों, मूल कच्चे माल, महत्वपूर्ण पुरजों आदि पर निर्भरता को कम करने के लिए है।
20. **भारतीय नौपरिवहन कंपनियों को सस्मिडी:** आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार ने सरकारी कार्गो के आयात हेतु मंत्रालयों/ विभागों और सीपीएसई द्वारा दी गई निविदाओं में भारतीय नौवहन कंपनियों को पांच वर्षों के लिए सहायता सस्मिडी के लिए एक स्कीम का अनुमोदन किया है।
21. **एमपीआरपी के लिए अतिरिक्त निधि (जे एंड के):** यह प्रधान मंत्री विकास पैकेज (2015) का एक भाग है, इस परियोजना को प्रधान मंत्री पुनर्संरचना पैकेज (पीएमआरपी2004) के तहत अनुमोदित पारेषण एवं वितरण नेटवर्क से संबंधित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अभिज्ञात किया गया है।
22. **व्यवहार्यता अंतर निधियन:** पंप भंडारण संयंत्रों और बैटरी ऊर्जा संभरण प्रणालियों के विकास संबंधी योजना। इसका उद्देश्य वित्तीय रूप से व्यवहारिक ग्रिड-स्केल, लंबी अवधि के लिए ऊर्जा भंडारण का विकास तथा ऊर्जा भंडारण सेवाओं की नवीकरणीय ऊर्जा की आपूर्ति को सक्षम करने के लिए बड़ी मात्रा में नवीकरणीय ऊर्जा का समेकन है।